2025/725

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :- 498/2025

प्रार्थी :-

राजस्थान सरकार,
जरिये तहसीलदार बिलाडा

<u>प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थिति :- तहसीलदार बिलाडा

निर्णय **दिनांकः-** 08/10/25

यह प्रकरण तरमीम शुद्धि के तहत तहसीलदार बिलाडा द्वारा राजस्व ग्राम चांदेलाव के खसरा नंबर 396/1, 552/396, 553/396, 554/396, 555/396 ऑनलाईन नक्शे में गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 के तहत प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

पत्रावली का अध्ययन किया गया, राजस्व रेकर्ड एवं मौका निरीक्षण किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवार मण्डल चान्देलाव में स्थित खसरा सं. 396/1, 552/396, 553/396, 554/396, 555/396 भूमि की तरमीम डीआईएलआरएम के तहत की गई है तथा नक्शा लटठा एवं कब्जे के अनुसार तरमीम नहीं हुई है। इस संबंध में हल्का पटवारी चान्देलाव की रिपोर्ट व भू.अ. निरीक्षक कापरडा की जांच के आधार पर ऑनलाईन नक्शें में खसरा सं. 396/1, 552/396, 553/396, 554/396, 555/396 की भूमि तरमीम शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि राजस्व ग्राम चान्देलाव के 396/1, 552/396, 553/396, 554/396, 555/396 की तरमीम नक्शा ट्रेस के पर अंकित है जिसकी पुष्टि पटवारी रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति से की गई। तथा तहसीलदार बिलाडा द्वारा संलग्न ऑनलाईन नक्शा में भिन्न तरमीम होना दर्शाया है। पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट मय नजरी नक्शा अंकित किया हुआ कि वादग्रस्त खसरान की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम(नजरी नक्शा ए) तथा मौका व कपडा लटठा नक्शा की तरमीम(नजरी नक्शा बी) के भिन्नता है। तथा पटवारी द्वारा नजरी नक्शा बी के अनुसार तरमीम किये जाने हेतु सहमति प्रदान की है।

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा